न्यायालयः सिविल न्यायाधीश रेलमगरा, जिलाः राजसमन्द

पीठासीन अधिकारीः विनय कुमार सोलंकी (आर.जे.एस.)

दीवानी मूल प्र.सं.: 49/2023, सी.आई.एस. नम्बरः 51/23

सी.एन.आर. नम्बर : RJRS110001042023

श्रीमती पुष्पा पत्नी दामोदर ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी सादड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

.... वादीया

—: बनाम :—

1. दामोदर पुत्र वरदीशंकर ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी सादड़ी, हाल सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
2. मनोरीदेवी उर्फ बबली देवी पत्नी वरदीशंकर ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी सादड़ी, हाल सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
3. माया पत्नी कैलाशचन्द्र ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
4. शिवलाल पुत्र मदनलाल ब्राह्मण, आयु 20 साल, निवासी बाबरिया खेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
5. टीना पुत्री मदनलाल ब्राह्मण, आयु 22 साल, निवासी बाबरिया खेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
6. कीर्ति पुत्री मदनलाल ब्राह्मण, आयु 18 वर्ष, निवासी बाबरिया खेडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

.... प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित —

1. श्री राजकुमार जोशी, विद्वान अधिवक्ता, वादीया की ओर से।
2. श्री नवलसिंह राणावत, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय दिनाँकः 10.04.2026

01. वादीया श्रीमती पुष्पा ने यह वाद पत्र प्रतिवादीगण दामोदर व अन्य के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि वादीया गांव सादड़ी तहसील रेलमगरा की निवासी होकर प्रतिवादीगण उसके परिवार के सदस्य है जिसमें प्रतिवादी सं. 01 वादीया का

पति है, प्रतिवादी संख्या 02 वादीया की सास है तथा प्रतिवादी संख्या 03 वादीया की ननद है, शेष प्रतिवादीगण वादीया की दूसरी ननद संतोष की मृत्यु हो जाने से वारिस होने से उनको पक्षकार संयोजित किया है। वादीया के ससुराल में वादीया के कब्जे उपयोग उपभोग का आबादी क्षेत्र गांव सादड़ी में आवासीय मकान है जिसके पड़ौस पूर्व में श्यामलाल का मकान, पश्चिम में मोहनलाल पिता टोलीराम का मकान, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में नानालाल पिता वेणीराम सालवी का मकान है। यह मकान 50 गुणित 22 वर्गफीट पर निर्माण किया हुआ है। 20 गुणित 20 वर्गफीट का चौक छुटा हुआ है जिस पर कच्चा खपरेल व लोहे के चद्दर का ढालिया बना हुआ है। यह मकान वादीया के ससुर जी का होकर पैतृक है जिसमें वादीया निवास कर रही है। प्रतिवादीगण व वादीया के बीच पिछले कई वर्षो से पारिवारिक मामलों को लेकर लड़ाई झगड़े व मुकदमेबाजी चल रही है जिसके कारण वादीा व प्रतिवादीगण अलग–अलग रहते है। वर्तमान में प्रार्थीया का पति प्रतिवादी सं. 01 व 02 ग्राम सादड़ी में स्थित अपना एक अन्य मकान को विक्रय कर प्रतिवादी सं. 03 के पास गांव सांसेरा में निवास कर रहे है। वादीया के उपयोग उपभोग व कब्जेशुदा पुश्तैनी मकान को प्रतिवादीगण रहन बह करने पर आमादा है तथा वादीया को इस मकान से बेदखल करने पर भी आमादा है इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा वादीा के कब्जे उपयोग उपभोग का एक नोहरा ग्राम सादड़ी के आबादी क्षेत्र में स्थित है जो 140 गुणित 150 वर्गफीट का लम्बा चौड़ा है जो पक्की चार दिवारी से आवृत होकर 30 फीट चौड़ बड़े दरवाजे पर लकड़ी के किंवाड़ा लगे हुए है और उस पर वादीया का ताला लगा हुआ है। इस नोहरे को भी प्रतिवादीगण रहन बस करना चाहते है और वादीया को बेदखल करने पर आमादा है। वादीया के कब्जे उपयोग उपभोग के अधिकार की दोनों सम्पतियां वादीया को पुश्तैनी होकर अपने ससुर जी से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं. 01 के विरूद्ध वादीया द्वारा पारिवारिक मामलों के प्रकरण विचाराधीन होने तथा धारा 125 सी.आर.पी.सी. के तहत लंबित भरण पोषण राशि की अदायगी से बचने हेतु प्रतिवादीगण हम सलाह होकर उक्त सम्पतियों को चोरी छिपे छल पूर्वक अन्य व्यक्तियों को बह बेचान कर यहां से भागना चाहते है क्योंकि पूर्व में भी वादीया के ससुर ने अपने खातेदारी भूमि को कुर्की से बचाने के लिए अपनी दोनों पुत्रियों के पक्ष में दिनांक 23.07.2014 को दान पत्र निष्पादित कर कृषि भूमियां ट्रांसफर करा दी, दान पत्र को शुन्य घोषित कराने हेतु सिविल न्यायालय में वाद पत्र विचाराधीन है। विचाराधीन होते हुए भी वादीया की ननद संतोष की मृत्यु हो जाने से उसका नामान्तरण उनके वारिसा संख्या 4 से 6 तक के नाम पर खुला उन्होंने उनके हक हिस्से की कृषि आराजियात को अन्य व्यक्तियों को बह बेचान कर दी

जिससे और मुकदमेबाजी बढ़ गयी है। इसी तरह से प्रतिवादीगण अब आबादी भूमि में स्थित मकान और नोहरा जिसका नजरी नक्शे में ए और बी भाग में दर्शित किया है, को दिगर व्यक्तियों को बह बेचान करने की धमकियां दे रहे है और वादीया को यहां से बेदखल करने पर भी आमादा हो रहे है, इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारकी कराई जानी आवश्यक है। अगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की गई तो वादीया को अपनी पुश्तैनी सम्पति में समाहित अधिकार व हित से महरूम होना पड़ेगा जिसकी भरपाई मुल्यों में नहीं आंकी जा सकेगी। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.08.2023 को वादीया को धमकी दी कि गांव सादड़ी में स्थित नजरी नक्शे में अंकित ए और बी स्थान पर मकान और नोहरे को दिगर व्यक्तियों को बह बेचान कर बड़ी राशि लेकर चले जायेंगे और वादीया को दर दर की ठोकरे खाने के लिए बेदखल कर देंगे जिससे उक्त वाद पेश करने का कारण पेश हुआ जो निरन्तर जारी है तथा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग माना जावे। वादीया वाद मालियत 400/– रूपये कायम करती है जो निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर अवधि प्रस्तुत है। विवादित सम्पति ग्राम सादड़ी के आबादी क्षेत्र में स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। अतः वादीया की प्रार्थना है कि पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम सादड़ी तहसील रेलमगरा के हल्के आबादी में स्थित जिसको वाद के कॉलम संख्या 01 में वर्णित किया है तथा नजरी नक्शे में दर्शित ए और बी भाग में स्थित मकान व नोहरे को अन्य व्यक्तियों को बह बेचान रहन नहीं करे और अन्य तरीके से भी खुर्द बुर्द नहीं करे तथा वादीया को दोनों सम्पतियों से बेदखल नहीं करे, उसके उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावे। ऐसा कार्य स्वयं प्रतिवादीगण न करे और न ही किसी अन्य से करावे। हर्जा खर्चा मुकदमा, महनताना वकील प्रतिवादीगण से वादीया को दिलाया जावे। अन्य मुफिद दाद जो वादीया हो प्रतिवादीगण से दिलाई जावे। वाद पत्र की ताईद में वादीया की ओर से श्रीमती पुष्पा का शपथ पत्र पेश हुआ है।

02. वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की ओर से पेश किया जाकर कथन किये गये कि वादीया को उक्त मकान निवास हेतु वादीया के ससुर वृद्धिशंकर ने एक अभिस्वीकृति विलेख दिनांक 17.02.2002 के निष्पादन में इस शर्त के साथ दिया था कि वादीया का पति प्रतिवादी संख्या 01 जब घर लौट आयेगा तब उक्त मकान पर प्रतिवादी संख्या 01 का पूर्ण हक अधिकार रहेगा। वादीया के द्वारा प्रतिवादीगण के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा किया जाता है व वादी द्वारा

प्रतिवादीगण के हेरान व परेशान करने की नियत से हमेशा झूठ झूठ प्रकरण दर्ज करवाये गये है जिसमें वादीया को कोई सफलता नहीं मिली व आगे भी मिलने की कोई सम्भावना नहीं है एवं वादीया द्वारा इस कलम में जिस नोहरे का वर्णन किया गया है वह नोहरा प्रतिवादीगण का है, वादीया का उस पर कोई कब्जा आधिपत्य नहीं है। प्रतिवादीगण का ताला लगा होकर प्रतिवादीगण के स्वामित्व आधिपत्य का है जिसमें वादीया का कोई हक अधिकार नहीं है। वादीया का पति जीवित है एवं कानून में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि पति के जीवित होते हुए बहु का ससुर की सम्पति में हक अधिकार हो। वादीया एक मात्र प्रतिवादीगण को परेशान व हेरान करने की नियत से झूठ व मनगढ़न्त तथ्यों को गढ़ कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहती है जबकि उक्त भूमियों में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के अनुसार भी प्रतिवादीगण का हक व अधिकार है जिसका उपयोग उपभोग से वंचित करने की नियत से वादीया ने वाद प्रस्तुत किया है जिसमें अगर न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञज्ञ का आदेश फरमाया जाता है तो क्षति प्रतिवादीगण को होगी। प्रतिवादीगण ने कोई धमकियां नहीं दी है जिससे वादीया का वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है जिससे भी वाद खारिज होने योग्य है। वादीया का वादग्रस्त सम्पतियों में कोई हक अधिकार नहीं है जबकि प्रतिवादीगण का हक अधिकार वादीया के वाद से ही साबित है। अतः प्रार्थना की है कि वादीया का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे। जवाब दावे के समर्थन में प्रतिवादी दामोदर ने शपथ पत्र पेश किया है।

03. उपरोक्त उभय पक्षीय अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2024 को निम्न लिखित तनकियात विरचित की गयीः—

(1) आया वाद पत्र की मद संख्या 02 व 03 में वर्णित व संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए व बी से दर्शित आशय के मकान व नोहरे की भूमि वादीया की कब्जेशुदा उपयोग—उपभोग की सम्पति पुश्तैनी होकर उसके ससुर से उसे प्राप्त है ?

——वादीया

(2) आया प्रतिवादीगण विवादित मकान व नोहरे की सम्पति को जबरन बेचान करने, खुर्द—बुर्द करने व वादीया को बेदखल करने आदि पर आमदा है, जिन्हें वादीया वाद पत्र की मद संख्या 10(1) के अनुरूप जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की अधिकारी है ?

——वादीया

(3) आया वाद पत्र वाद हेतुक के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है ?

—— प्रतिवादी पक्ष

(4) अनुतोष ?

04. वादीया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं के गवाह पी.ड.01 श्रीमती पुष्पा के रूप में बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 नजरी नक्शा पेश कर प्रदर्शित कराया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

05. बहस अन्तिम सुनी गयी, पत्रावली का गम्भीरता से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

06. उपरोक्त वर्णित प्रत्येक विवाद्यक पर न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

<u>तनकी संख्या 1 लगायत 2</u> :–

(1) आया वाद पत्र की मद संख्या 02 व 03 में वर्णित व संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए व बी से दर्शित आशय के मकान व नोहरे की भूमि वादीया की कब्जेशुदा उपयोग–उपभोग की सम्पति पुश्तैनी होकर उसके ससुर से उसे प्राप्त है ?

(2) आया प्रतिवादीगण विवादित मकान व नोहरे की सम्पति को जबरन बेचान करने, खुर्द–बुर्द करने व वादीया को बेदखल करने आदि पर आमदा है, जिन्हें वादीया वाद पत्र की मद संख्या 10(1) के अनुरूप जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की अधिकारी है ?

07. तर्को एवं तथ्यों की पुनरावृति से बचाव एवं सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 01 व 02 का विवेचन एक साथ किया जा रहा है जिनके संदर्भ में न्यायालय का मत इस प्रकार है कि वादीया ने उसकी ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में मार्क–ए से दर्शित विवादित मकान व मार्क–बी से दर्शित विवादित नोहरे को स्वयं के उपयोग–उपभोग की सम्पति होना बताते हुए उक्त दोनों के संबंध में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।

विवादित सम्पतियों में से नजरी नक्शा प्रदर्श–1 में मार्क ए से दर्शित मकान के संदर्भ में वादी पक्ष की ओर से आयी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वादीया ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आशय की उक्त सम्पति जो उसके ससुर की होकर पैतृक है, में स्वयं का निवासरत होना बताया है। वादीया की ओर से वाद पत्र के समर्थन में स्वयं को परीक्षित कराते हुए प्रस्तुत शपथ पत्र में भी उक्त सम्पति के संदर्भ में वाद पत्र में वर्णित अनुसार ही अभिवचन वर्णित किये हैं। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त मार्क–ए से वर्णित मकान के संदर्भ में वादीया द्वारा वर्णित अभिवचनों को प्रतिवादीगण ने अपनी जवाबदेही में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि वादीया के ससुर वृद्धिशंकर ने दिनांक 17.02.2002 को एक अभिस्वीकृति विलेख निष्पादित कर उक्त मकान निवास हेतु वादीया को सुपुर्द किया था। वादीया से प्रतिवादी पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त अभिस्वीकृति विलेख

के संबंध में दिये गये सुझावों को वादीया ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। न्यायालय मत में उपरोक्त के दृष्टिगत उभय पक्षों के मध्य इस संदर्भ में पूर्ण रूप से स्वीकृत स्थिति है कि विवादित मकान जो कि नजरी नक्शा प्रदर्श–1 में मार्क ए से दर्शित है तथा वाद पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित है, में वादीया निवासरत होकर उक्त सम्पति का उपयोग उपभोग कर रही है। हालांकि अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष ने दौराने जिरह वादीया के ससुर द्वारा उसे उक्त मकान सशर्त दिये जाने का तर्क दिया है किन्तु उक्त अभिस्वीकृति विलेख के साक्ष्य में प्रदर्शित न हो पाने की वजह से न्यायालय के समक्ष यह किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं हो पाता है कि ऐसे किसी अभिस्वीकृति विलेख में वर्णित शर्त का उल्लघंन वादीया द्वारा किया गया है। न्यायालय मत में वादीया उक्त मार्क ए से दर्शित सम्पति पर स्वयं का आधिपत्य पर्याप्त रूप से साबित करने में सफल रही है जिसके उपयोग उपभोग में यदि प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई बाधा कारित की जाती है तो वादीया के उक्त सम्पति से संबंधित सिविल अधिकारों को सुरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

08. जहां तक नजरी नक्शा प्रदर्श–1 में मार्क–बी से दर्शित तथा वाद पत्र की मद संख्या–3 में वर्णित आशय के विवादित नोहरे का प्रश्न है तो वादीया ने उक्त को भी स्वयं के कब्जे, उपयोग–उपभोग की सम्पति होना बताया है तथा उक्त के संबंध में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है किन्तु ऐसी कोई संपुष्टिकारक मौखिक साक्ष्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष वादीया पेश करने में असमर्थ रही है जो कि यह स्थापित करती हो कि उक्त नोहरा वादीया के कब्जे, उपयोग उपभोग की सम्पति है। वादीया द्वारा मार्क–बी से दर्शित विवादित नोहरे के संदर्भ में पर्याप्त साक्ष्य पेश न किये जाने की दशा में वह उक्त मार्क–बी से दर्शित सम्पति नोहरे पर स्वयं का आधिपत्य पर्याप्त रूप से साबित करने में असफल रही है।

उपरोक्त आशय के विवेचन से तनकी संख्या 01 व 02 आंशिक रूप से नजरी नक्शा प्रदर्श–1 में मार्क–ए से दर्शित विवादित मकान की हद तक वादीया के पक्ष में तथा मार्क–बी से दर्शित विवादित नोहरे के संदर्भ में वादीया के विरूद्ध तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या–03</u>

आया वाद पत्र वाद हेतुक के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है ?

09. उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर रहा है किन्तु प्रतिवादी ने पर्याप्त अवसर लेकर भी उक्त तनकियात को साबित करने हेतु न्यायालय के समक्ष कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की और कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया। उपरोक्त अनुसार उक्त तनकी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध

निर्णीत की जाती है।

अनुतोषः–

10. चूंकि तनकी संख्या 01 एवं 02 आंशिक रूप से वादीया अपने पक्ष में साबित करने में सफल रही है। लिहाजा वादीया अपने वाद पत्र में वांछित अनुतोष के अनुरूप स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की हकदार है और यह दावा आंशिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

11. परिणामतः वादीया श्रीमती पुष्पा पत्नी दामोदर ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी सादड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द की ओर से प्रस्तुत यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण दामोदर, मनोरीदेवी उर्फ बबलीदेवी, माया, शिवलाल, टीना एवं किर्ती के आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में मार्क–1 में दर्शित मकान से वादीया को बेदखल नहीं करे, न ही उसके उपयोग उपभोग में बाधा कारित करे, न ही उक्त सम्पति का रहन, बेचान करे। ऐसा कार्य प्रतिवादीगण स्वयं न करे न किसी अन्य से करावे। वाद खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे। उपरोक्त अनुसार डिक्री पर्चा पृथक से नियमानुसार मुर्तिब किया जावे।

(विनय कुमार सोलंकी)
सिविल न्यायाधीश रेलमगरा
जिला राजसमन्द।

12. निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनय कुमार सोलंकी)
सिविल न्यायाधीश रेलमगरा
जिला राजसमन्द।